न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 29/2020 RCMS No.—2020/00074

सीताराम पुत्र प्रभात, जाति अहीर, निवासी ग्राम केला का बास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 01.10.2020 बअदालत तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 131/2020 बउनवानी सरकार बनाम सीताराम में पारित किया गया।

———————

उपस्थितः–

1. श्री विजेन्द्र सिंह बारेठ अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 20.11.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 01.10.2020 से अपीलांट द्वारा ग्राम केला का बास तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 4.78 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 चारागाह में से 0.25 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत् 2077 में अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को अतिचारी मानकर उक्त आराजी चारागाह भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.25 रूपये का 50 गुना 13 रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर वसूल करने तथा अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल करने एवं साथ ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिचार होने के कारण अपीलांट को एक माह (30 दिवस) की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचित किये बिना मुकम्मिल तामील व जवाबदेही का अवसर दियेप आनन–फानन में अपीलांट को पुनः अतिक्रमी मानकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 01.10.2020 पारित कर बेदखल, निलामी, तथा सिविल जेल कारावास 1 माह के दण्ड से दण्डित करते हुए आदेश पारित कर दिया। राजस्व ग्राम केला का बास की सीमा में स्थित चारागाह खसरा नंबर 164 रकबा 4.78 हैक्टेयर के लगवा पडौस में अपीलांट स्वयं की खातेदारी व कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 218 स्थित है। अपीलांट स्वयं अपनी खातेदारी की कृषि भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 218 व चारागाह खसरा नंबर 164 का सीमा ज्ञान तहसीलदार द्वारा नहीं करवाया गया। बिना सीमा ज्ञान करवाये अपीलांट का अतिक्रमण स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलांट के भाई की उपस्थिति दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध सर्वथा झूठी रिपोर्ट पेश की गई एवं अपीलांट को हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली क्रमांक 131/20 उनवानी सरकार बनाम सीताराम में दिनांक 01.10.2020 को पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट का विवादित चारागाह पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। अपीलांट के विरूद्ध धारा 91(3) के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट को चारागाह भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 01.10.2020 को पारित किया गया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण अपीलांट को एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का सम्वत् 2077 में ग्राम केला का बास तहसील जमवारामगढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 4.78 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.25 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए जिसके पश्चात अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट स्वयं अनुपस्थित रहा एवं अपीलांट का भाई उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को चारागाह भूमि से बेदखल कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण एक माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिनांक 01.10.2020 को पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने अवसर प्रदान नहीं किया गया और अपीलांट की अनुपस्थिति में ही उसे राजस्थान भू राजस्व की धारा 91(3) के तहत एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। विद्वान अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन भूमि एवं अपीलांट की खातेदारी भूमि से लगती हुई एवं मौके पर सीमा ज्ञान किया हुआ नहीं है। अपीलांट सीमा ज्ञान हेतु सक्षम स्तर पर स्वयं आवेदन करें। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलांट को दी गई एक माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा प्रकरण संख्या 131/2020 बउनवानी सरकार बनाम सीताराम में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2020 से एक माह (30 दिवस) सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.12.14 16:03:24 IST
Reason: SelfAttested